



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. गवालियर

329

प्र.कं.

/2018 पुनरीक्षण

निगरानी- 4657/2018/सिंगरौली/भू.रा

1. हीरालाल पुत्र रामचन्द्र साहू
2. सुरेन्द्र प्रसाद पुत्र रामचन्द्र साहू
3. अखिलेश्वर पुत्र रामचन्द्र साहू
सभी निवासीगण ग्राम हर्दीत तहसील सरई
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

..... आवेदकगण

श्री सुकेश/मागिते काफ़ी
द्वारा आज दि. 16-7-18
प्रस्तुत/प्रारम्भिक चर्चा हेतु
दिनांक 03-8-18 नियत।

विरुद्ध

श्री राजस्व मण्डल म.प्र. गवालियर
दिनांक 16-7-18

1. छोटेलाल पुत्र रामलाल साहू
2. कोमलचन्द्र पुत्र गंभीर साहू
3. तिरन्ती पत्नी जगसेन साहू
सभी निवासीगण ग्राम हर्दी तहसील सरई
जिला सिंगरौली

.... अनावेदकगण

श्री सुकेश/मागिते काफ़ी
16-7-18 4657/2018
गवालियर

न्यायालय कलेक्टर जिला सिंगरौली (म.प्र.) द्वारा प्र.कं. 28/निगरानी/17-18 में पारित आदेश दिनांक 03.05.2018 के विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 12959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदगण का निम्नानुसार निवेदन है कि -

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर सिंगरौली द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है।

दिनांक 13/2/18
हस्ताक्षर व नाम

2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक नि०न/4657/18/सिंगरौली, २१

हीरालाल खोटेला

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--------------------------------------|
| <p>२७/१२/१८</p> | <p>आवेदक की ओर से श्री <u>भुवनेश भागवत</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला <u>सिंगरौली</u> के प्रकरण क्रमांक <u>२८/नि०न/१७-१८</u> में पारित आदेश दिनांक <u>०३/०५/२०१८</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक २५-०९-२०१८ को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा ५० सहपठित संहिता की धारा ५४(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग <u>शिव</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>०३/०४/१९</u> को संभागीय आयुक्त <u>शिव</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"><u>सदस्य</u></p> | |